भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2035

जिसका उत्तर 17.12.2025 को दिया जाना है

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा के उपाय

2035 श्री मदन राठौड़:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री केसरीदेवसिंह झालाः

श्री नारायण कोरागप्पाः

श्री जग्गेशः

श्रीमती किरण चौधरीः

श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने सड़क सुरक्षा अधिकारियों और सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ख) उच्च मृत्यु दर वाले क्षेत्रों (एचएफजेड) की पहचान करने और जीरो फेटैलिटी अटेनमेंट (जेडएफए) दृष्टिकोण के तहत इंजीनियरिंग या प्रवर्तन हस्तक्षेप निर्धारित करने के लिए कौन-सी पद्धति का उपयोग किया जाता है;

(ग) डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा योजना के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है; और

(घ) चिह्नित एचएफजेड में चल रहे शमन कार्यों के लिए अपेक्षित समय-सीमा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क सुरक्षा ऑडिट नवनिर्मित सड़कों को वाणिज्यिक यातायात के लिए खोलने से पहले उनका स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी चिन्हित किए गए मुद्दों, जिनमें सड़क संकेत और चिह्नों से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, को सड़क को जनता के लिए खोलने से पहले समाधान किया जाता है। इसके बाद, परियोजना राजमार्ग के संचालन के दौरान, नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि संचालन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले सुरक्षा संबंधी मुद्दों को चिन्हित किया जा सके और आवश्यक सुधारात्मक उपाय समयबद्ध तरीके से किए जा सकें। इसके अलावा, सभी मौजूदा और नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना डेटा की निगरानी पूरे भारत में ईडीएआर पोर्टल (एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस) के माध्यम से की जाती है और दुर्घटना स्थलों को चिन्हित किया जाता है।

सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इन चिन्हित दुर्घटना स्थलों पर अग्रिम सुधारात्मक कार्रवाई करने और उन्हें ब्लैकस्पॉट में परिवर्तित होने से रोकने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट पर प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम के ज़रिए सड़क सुरक्षा ऑडिट के संबंध में तकनीकी क्षमता निर्माण किया जा रहा है। आज तक, 282 अधिकारियों ने प्रमाणन पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ऐसे पाठ्यक्रम सड़क सुरक्षा ऑडिटर्स/ इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स/ अथॉरिटी इंजीनियर्स/ ठेकेदारों और रियायतग्राही इंजीनियर्स के लिए भी किए जा रहे हैं।

(ख) दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉट का निर्धारण राजमार्ग के उस हिस्से को ध्यान में रखकर किया जाता है जहां प्रति किलोमीटर घातक दुर्घटनाओं का जोखिम अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में अधिक पाया जाता है। ऐसे स्थलों पर प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय निर्धारित और कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण योजना और डिजाइन चरण में दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक है, ताकि नए राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन और विकास में पर्याप्त सुरक्षा उपायों को अंतिम रूप दिया जा सके।

दुर्घटनाओं की संख्या, उनमें शामिल व्यक्तियों की संख्या आदि के आधार पर प्रमुख दुर्घटना स्थलों की चिन्हित करने के लिए ग्रिड विश्लेषण का उपयोग करके दुर्घटना डेटा का विश्लेषण किया जाता है, ताकि तदनुसार, अंतःक्षेप (इंटरवेंशन) की योजना बनाई जा सके। इसके अलावा, दो समयावधियों के बीच दुर्घटना प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए एक ट्रांज़िशन मैट्रिक्स भी बनाया गया है।

ईडीएआर डेटा विभिन्न सुधारात्मक उपायों के प्रभाव आकलन में भी सहायक होता है।

(घ) दुर्घटना स्थलों पर निवारक उपायों को लागू करने के बाद, अगले तीन वर्षों तक दुर्घटनाओं/मृत्यु की संख्या में कमी की निगरानी की जाती है ताकि निवारक उपायों की प्रभावशीलता या अतिरिक्त निवारक उपायों की आवश्यकता का आकलन किया जा सके।
